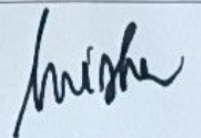


उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
(वैयक्तिक सहायक कक्ष)
संख्या: 266/सू०एवंज०स०वि०(वै०स०क०)-2024
लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2024
कार्यालय आदेश

सूचना विभाग में तैनात अपर निदेशक, श्री अंशुमान राम त्रिपाठी को एतद्वारा निम्नानुसार कार्य एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जाता है :-

क.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित कार्य
1.	श्री अंशुमान राम त्रिपाठी अपर निदेशक	कार्य:- विभाग के समस्त कार्य
		वित्तीय अधिकार:- - अपने कार्यालय एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन खरीदने का पूर्ण अधिकार। - वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने का पूर्ण अधिकार। - राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों के उपयोगार्थ एस०जी०पी०जी०आई० एवं रियायती रेल-वे कूपन निर्गत करने का पूर्ण अधिकार। - कार्यालय की गाड़ियों/मोटर वाहनों के डीजल/पेट्रोल व मोबिल आयल के रु० 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार) की सीमा तक या एक माह के खपत के मूल्य तक, जो कम हो, के कय हेतु अग्रिम स्वीकृत करना। - वाहनों हेतु डीजल/पेट्रोल क्रय एवं अनुरक्षण, टेलीफोन एवं बिजली बिलों के भुगतान स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। - व्यवस्था एवं सामान्य स्टोर संबंधी कार्यों हेतु रु० 50,000/- (रुपये पचास हजार) की सीमा तक की स्वीकृति एवं भुगतान पारण करने का पूर्ण अधिकार। - मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार अधिष्ठान के कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बीजकों रु० 2,00,000/- (रुपये दो लाख) की सीमा तक भुगतान स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। - जी०पी०एफ०:- अराजपत्रित कार्मिकों को स्थायी/अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। (क) जी०पी०एफ० :- राजपत्रित कार्मिकों को अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। - अवकाश:- मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार के अराजपत्रित कार्मिकों को अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। - मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार प्रभाग के अराजपत्रित कार्मिकों के टी०ए० बिलों की स्वीकृति/भुगतान का पूर्ण अधिकार। - राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ एवं नई दिल्ली से संबंधित कार्यों हेतु रु०-50,000/- (रुपये पचास हजार) की सीमा तक की स्वीकृति एवं भुगतान करने का पूर्ण अधिकार।



		12. प्रकाशन संबंधी कार्यों की रू० 2,00,000/- (रूपये दो लाख) की सीमा तक स्वीकृति/भुगतान करने का पूर्ण अधिकार। 13. रू० 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख) की सीमा तक विज्ञापन बीजकों (सजावटी एवं वर्गीकृत) को पारित करने का पूर्ण अधिकार।
--	--	--

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विभाग के समस्त संबंधित अधिकारी अपने आवंटित कार्यों की पत्रावलियां उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

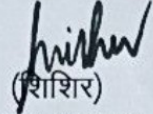
(शिशिर)

निदेशक, सूचना।

संख्या: 266/सू० एवं ज० सं० वि० (वै० सं० क०)-2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर निदेशक।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 3- समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर के अधिकारीगण।
- 4- प्रभारी, कम्प्यूटर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
- 6- समस्त प्रभागों के प्रशासनिक अधिकारी।
- 7- गार्ड फ़ाइल हेतु।


(शिशिर)

निदेशक, सूचना।